पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: **4381** / अका. / का.प. / **2015** रायपुर, दिनांक : **07 / 08 / 2015**

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की चौदहवीं* बैठक शुक्रवार, दिनांक 14 अगस्त, 2015 को अपरान्ह 03.00 बजे की विषयसूची

01. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 30.07.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।** **(पृ.क्र. 01 से 06 तक)**

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

02. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 30.07.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**

03. **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.06.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।** **(पृष्ठ क्र. 07 से 12 तक)**

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

04. **विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 17.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।** **(पृष्ठ क्र. 13 से 16 तक)**

टीप : प्रकरण कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 में पूरक सूची विषय क्रमांक 1 में अनुमोदनार्थ रखा गया था। निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। अतः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

05. **छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सेटअप अनुसार विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत पद– कक्ष–अधिकारी, वरिष्ठ अधीक्षक, कनिष्ठ अधीक्षक, उच्च वर्ग लिपिक–I, II एवं निम्न वर्ग लिपिक की भूमिका, अपेक्षित योग्यता एवं कर्तव्य के संबंध में विचार करना।**

(पृ.क्र. 17 से 22 तक)

टीप : प्रकरण कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 में विषय क्रमांक 15 में विचारार्थ रखा गया था। निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। अतः कार्यालयीन टीप के सहित माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

06. **शासन के नियमानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता रु. 500/– प्रतिमाह प्रदाय करने के संबंध में पात्रता हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के बाद पात्रता के संबंध में विचार करना।**

(पृष्ठ क्र.23 से 27 तक)

टीप : प्रकरण कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 में पूरक सूची के विषय क्रमांक 4 में विचारार्थ रखा गया था। निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। अतः कार्यालयीन टीप के सहित माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

07. **विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, विज्ञान भवन एवं कला भवन में सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाये जाने के संबंध में विचार करना।** **(पृष्ठ क्र. 28 से 30 तक)**

टीप : प्रकरण कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 में पूरक सूची के विषय क्रमांक 6 में विचारार्थ रखा गया था। निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। अतः कार्यालयीन टीप के सहित माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

08. **भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 29.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।**

टीप : प्रकरण कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 में पूरक सूची के विषय क्रमांक 10 में अनुमोदनार्थ रखा गया था। निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। अतः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। **(पृ.क्र. 31 से 45 तक)**

09. **वार्षिक परीक्षा 2015 नोडल केन्द्रों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के कराये गए मूल्यांकन के पारिश्रमिक रु. 40 लाख (चालीस लाख रुपये) की गई भुगतान हेतु स्वीकृत अग्रिम राशि के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (पृ.क्र. 46)**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

10. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् बैठक दिनांक 10.06.2015 के पूरक विषय सूची क्रमांक 05 में शामिल स्टेनोग्राफर को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र. 47)**

टीप : प्रकरण कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 में पूरक सूची के विषय क्रमांक 8 में विचारार्थ रखा गया था। निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। अतः कार्यालयीन टीप के सहित माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

11. **कर्मचारी संघ के आह्वान में दिनांक 04.06.2015 से 12.06.2015 तक हुए हड़ताल अवधि के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 48 से 56 तक)**

टीप : प्रकरण कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 में विषय क्रमांक 17 में विचारार्थ रखा गया था। निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। अतः कार्यालयीन टीप के सहित माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

12. **विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहण किए गए जमीन के बीच में स्थित निजी भूमि को आपसी सहमति से क्रय करने के संबंध में समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। **(पृ.क्र. 57 से 58 तक)**

13. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।**

कुलसचिव

पृ. क्रमांकः **4382** /अका./का.प./**2015** रायपुर, दिनांक : **07 /08/2015**

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 4328/अका./का.प./2015 रायपुर, दिनांक : 4/08/2015

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की तेरहवीं* बैठक गुरूवार, दिनांक 30.07.2015 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष
2. डॉ.. एम.डब्ल्यू.वाय.खान – सदस्य
3. डॉ. भगवंत सिंह – सदस्य
4. डॉ. एस.सी. नैथानी – सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय – सदस्य
6. श्री राजेश सिंह राणा – सदस्य
7. श्री सी.जे. खत्री – सदस्य
8. श्री ललित सुरजन – सदस्य
9. श्री शिवरतन शर्मा – सदस्य
10. श्री श्रीचंद सुंदरानी – सदस्य
11. श्री नवीन मार्कण्डेय – सदस्य
12. श्री सत्यनारायण शर्मा – सदस्य
13. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव – सचिव

भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वैज्ञानिक एवं मिसाइल मैन का दिनांक 27.07.2015 को शिलांग में असामयिक निधन हो जाने के कारण, कार्यपरिषद् के सदस्यों ने दो मिनट मौन रखकर शोक श्रद्धांजलि दी, तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 10.06.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10.06.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।**

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 10.06.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10.06.2015 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

03. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद के नियुक्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **डॉ.विभूति राय, संचालक महाविद्यालय विकास परिषद (संविदा) की सेवाएं दिनांक 05.06.2015 को समाप्त होने के पश्चात दिनांक 06.06.2015 से 31.07.2015 तक ही वृद्धि करते हुए संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद के पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाय।**

02

04. NCNR, PRSU के लिए Fluorescence. Microscope- Model- DM-2000 LED मूल्य क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : **NCNR, PRSU द्वारा Fluorescence. Microscope- Model- DM-2000 LED निर्माता Company m/s. CAMAG, Switzerland से Company M/s. Leica DHR Hodina, India Pvt. Ltd, Mumbai के माध्यम से क्रय करने हेतु उपकरण का मूल्य Euro 15,249.65 (रूपये 12,01,000/– बारह लाख एक हजार मात्र) + Custom Charges + LC Opening Charges की केंद्रीय क्रय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई। आदेश जारी करने के पूर्व LC Opening Charges एवं Custom Charges का आवश्यक परीक्षण कर ली जावे।**

05. NCNR, PRSU के लिए HPTLC क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : **NCNR, PRSU द्वारा HPTLC क्रय करने के लिए निर्माता Company m/s. CAMAG, Switzerland से Company m/s. Anchrom Enterprises (1) Pvt. Ltd, Mumbai के माध्यम से मूल्य Swiss CHF 94,173 + Custom Charges + LC Opening Charges (Rs. 72,91,321=00) की केंद्रीय क्रय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। आदेश जारी करने के पूर्व LC Opening Charges एवं Custom Charges का आवश्यक परीक्षण कर ली जावे।**

06. NCNR, PRSU के लिए Anesta Iwata Oil Free Silent Scrol Air Compressor 3 HP क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : **NCNR, PRSU द्वारा Anesta Iwata Oil Free Silent Scrol Air Compressor 3 HP क्रय करने के लिए निर्माता Company m/s. ANEST IWATA MOTHERSON LTD. Graiter NOida (UP) से Company m/s. ANEST IWATA MOTHERSON LTD. Graiter NOida (UP) के माध्यम से मूल्य रु. 5,67,600 (पाँच लाख सढ़सठ हजार छः सौ रुपए) की केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।**

07. छत्तीसगढ़ संवाद से शेष 05 लाख कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण का देयक रु.14,63,000.00 भुगतान स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : **छत्तीसगढ़ संवाद से पांच लाख कोरी उत्तर–पुस्तिका मुद्रण के पश्चात् देयक राशि रुपए 14,63,000.00 (रुपए चौदह लाख तिरसठ हजार मात्र) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।**

08. पुनर्मुल्यांकन शुल्क कम करने के संबंध में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के ज्ञापन पत्र दिनांक 17.06.2015 के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **सत्र 2016–17 में पुनर्मूल्यांकन शुल्क में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया गया।**

09. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2010 में हुए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नी एवं पुत्र/पुत्री को शिक्षण शुल्क में छूट के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10.09.2000 में हुए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया गया कि यह व्यवस्था स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।**

10. केन्द्रीय जेल, रायपुर से छात्रावास हेतु तखत् क्रय करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय : **छात्रावास हेतु तखत क्रय निविदा के आधार पर अथवा शासन द्वारा अनुमोदित अन्य एजेंसी के माध्यम से क्रय की कार्यवाही की जावे।**

11. NCNR प्रोजेक्ट के अंतर्गत बायोसाइंस अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव, Extension of Appointment के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **एन.सी.एन.आर. प्रोजेक्ट के अंतर्गत डॉ. एम.एल. नायक, भूतपूर्व प्राध्यापक, बायोसाइंस अध्ययनशाला की सेवाएं कंसल्टेंट के रूप में दिनांक 01.05.2015 से 30.04.2016 तक पूर्व निर्धारित शर्तों एवं मानदेय के अनुसार वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

12. विश्वविद्यालय सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति की अनुशंसा विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : **विश्वविद्यालय सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति के द्वारा अनुशंसित टीप पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि सभी मापदंड पूरा करने के फलस्वरूप इंडियन सेक्युरिटी फोर्स, शाप नं. के–3/264 सुभाष मार्केट, जिला–दुर्ग के द्वारा उल्लेखित दर के अनुसार कार्य कराने हेतु अनुमोदन किया गया।**

13. विश्वविद्यालय में राष्ट्रीयकृत बैंक – बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा खोलने के संबंध में अनुमति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय में राष्ट्रीयकृत बैंक– बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा खोलने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

14. विषय क्रमांक 2 माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.05.2015 में हुए निर्णय के परिपालन में महाविद्यालयों को दी गयी नोटिस के पश्चात् प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर संशोधित परफारमेंस इंडेक्स अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : **ऐसे महाविद्यालय जिनकी परफार्मेंस इंडेक्स 0.5 से नीचे है, उन्हें नोटिस जारी किया जाय कि वे परफार्मेंस इंडेक्स वृद्धि के संबंध में शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर अन्य आवश्यकताएं 31 दिसंबर, 2015 तक पूर्ण कर लें। अन्यथा सत्र 2016–17 में संबंधित महाविद्यालयों की सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रतिबंधित किया जावेगा।**

19. श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक (बर्खास्त) के द्वारा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 27.02.2015 के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **प्रकरण पर विचार विमर्श के पश्चात् अपील सुनवाई के संबंध में निम्नानुसार कार्यपरिषद् सदस्यों की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया :**

1. **श्री सत्यनारायण शर्मा — अध्यक्ष**
2. **श्री नवीन मारकण्डेय — सदस्य**
3. **डॉ. भगवंत सिंह — सदस्य**

पूरक विषयसूची

01. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 17.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।**

02. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

03. स्व. श्री अभिलेष प्रसाद मेमोरियल गोल्ड मेडल प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **एम.ए. अर्थशास्त्र (सेमेस्टर पद्धति) विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्गीय श्री अभिलेष प्रसाद मेमोरियल गोल्ड मेडल प्रदान किये जाने हेतु विनियम क्रमांक 163 का अनुमोदन किया गया।**

04. शासन के नियमानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता रु. 500/– प्रतिमाह प्रदाय करने के संबंध में पात्रता हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के बाद पात्रता के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।**

05. विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह गार्डन के प्रकाश हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह गार्डन के प्रकाश हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने के संबंध में क्रेड़ा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

06. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, विज्ञान भवन एवं कला भवन में सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।**

07. विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 01 एवं अध्यादेश क्रमांक 02 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 01 एवं अध्यादेश क्रमांक 02 सत्र 2015–16 के लिए अनुमोदन किया गया।**

08 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् बैठक दिनांक 10.06.2015 के पूरक विषय सूची क्रमांक 05 में शामिल स्टेनोग्राफर को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।**

09. डॉ. बी.पी. साहू, से.नि. उप कुलसचिव एवं स्व. श्री विक्टर एक्का, पूर्व उप कुलसचिव को राज्य शासन के नियमानुसार क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान स्वीकृत कर भुगतान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

10. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 29.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।**

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 4329 /अका./का.प./2015 रायपुर, दिनांक 4/8 /2015

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त प्रभारी अधिकारी
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 3957 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2015 रायपुर, दिनांक: 27 /06/2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आवश्यक बैठक शनिवार, दिनांक 27.06.2015 अपरान्ह 04.00 बजे **कुलपति कक्ष** में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	–	सदस्य
3.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	–	सदस्य
4.	डॉ. भगवंत सिंह	–	सदस्य
5.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	–	सदस्य
6.	डॉ. सी.डी. अगासे	–	सदस्य
7.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
8.	डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	–	सदस्य
9.	डॉ. एस.सी. नैथानी	–	सदस्य
10.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	–	सदस्य
11.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक **09.06.2015** के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.06.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	स्वामी अजय गुरूदेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, आई.टी.बी.पी. रोड, ग्राम–मुड़पार, पो.–खरोरा, तह.–तिल्दा, जिला–रायपुर	B.Sc.-I-Maths Group (Physica, Maths, Chemistry)	40	2015–16	**निरीक्षण तिथिः– 13.06.2015** वि.वि. के पत्र क्र. 3583/अका./2015 दिनांक 20.05.2015 के संदर्भ में निरीक्षण समिति ने दिनांक 13.06.2015 को स्वामी अजय गुरूदेव इंस्टी. ऑफ टेक्नालॉजी, खरोरा, का निरीक्षण किया एवं पाया कि – 1. बी.एस.सी. गणित समूह (40 सीट), बी.एस.सी.	**निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।** **संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।** **परिनियम 28 के**
		B.Sc.-I-Bio-Group (Chemistry Botany, Zoology)	40			
		B.Com.-I-Compulsory Subject	40			

(8)

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
	(श्री अभिनव शैक्षणिकोत्तर समाजिक उत्थान समिति स्टेशन रोड रायपुर)	B.Com.-I-Computer Application	40		बायो समूह (40 सीट), बी.काम. (40 सीट) एवं बी.काम. कम्प्यूटर साइंस (40 सीट), हेतु अधोसंरचना पर्याप्त है, जिसमें 04 अध्यापन कक्ष, 03 प्रयोगशाला कक्ष (भौतिकी, रसायन एवं वनस्पति /जीव विज्ञान), 01 कम्प्यूटर प्रयोगशाला सहित कुल 14 कक्ष हैं। कुल क्षेत्रफल 7.115 एकड़ परिवर्तित जमीन है तथा भवन का निर्मित क्षेत्र 12,500 वर्ग फीट है। 2. महाविद्यालय की जमीन श्री अभिनव शैक्षणिकोत्तर सामाजिक उत्थान समिति के नाम पर है। 3. प्राचार्य एवं सहा. प्राध्यापकों (प्रत्येक विषय में एक) की नियुक्ति परिनियम 28 में किए जाने की आवश्यकता है। 4. बी.काम. (कम्प्यूटर) के लिए 20 कम्प्यूटर टर्मिनल उपलब्ध हैं जो कि पर्याप्त है। भौतिकी, रसायन एवं वनस्पति। जीव विज्ञान प्रयोगशाल में उपकरण छात्रों के अनुपात से कमह है। समिति छात्र अनुपात में अधिक उपकरणों की अनुशंसा करती है। 5. सभी विषयों के पुस्तकों का क्रय आर्डर दिया गया है। छात्र अनुपात में पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों की आवश्यकता है।	**तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 3 माह के अंदर पूर्ण करें।**
	शासन का आदेश क्र. एफ 17–23/201538–2 दिनांक 31.01.2015					

03. एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अंतर्गत बी.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के पूर्ति हेतु बी.एड्. पाठ्यक्रम के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में गठित निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत टीप निम्नानुसार है :–

बी.एड्.

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
1.	आदर्श महाविद्यालय, दतरेंगा, मुर्रा, रायपुर (आदर्श नर्सिंग इंस्टीट्यूट, दतरेंगा, रायपुर)	बी.एड्.	निरीक्षण तिथि :– 25.06.2015 As per Univ. letter No. 3871/Acad/2015, dt 23-05-2015 regarding grant of NOC for commencing B.Ed. Course at Adarsh Mahavidyalaya (Adarsh Nursing institute), Datrenga, Raipur. The Committed visited in 25-06-2015. and observed the land availability by the Director, regarding provision of necessary infrastructure by 31-03-2016. The Committee recommends for the grant of NOC for B.Ed. Course for 2016-17 session.	एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होने पर सत्र 2016–17 से बी.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।
2.	सांई सदन एजुकेशन स्कूल, ग्राम–बेंद्री, वि.ख.–अभनपुर, रायपुर	बी.एड्.	निरीक्षण तिथि :– 26.06.2015 The committee visited the proposed site at Bendri on 26/6/2015. Following are the observations of the committee with respect to the proposed college to start B.Ed. course: 1. The college has adequate (1.67 acres) land required for starting the B.Ed. course. 2. The construction area available is more than 3000 square metre. 3. Already class rooms of NCTE specified size are constructed and seminar hall is under construction. 4. Adequate number of rooms are available for teachers, principal, office, computer lab. and library. 5. There is arrangement of separate toilets and common rooms for boys and girls. 6. Land available is adequate for sports, parking and other activities. 7. Furniture exist but not in good condition.	एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होने पर सत्र 2016–17 से बी.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
3.	कृति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ज्ञानगंगा स्कूल के पास विधानसभा रोड, नरदहा, रायपुर	बी.एड.	**निरीक्षण तिथि :– 26.06.2015** विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 3928 / अका. / 2015 रायपुर दिनांक 26.06.2015 के परिपालन में आज दिनांक 26.06.2015 को बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य पाये गये– 1. महाविद्यालय में प्राचार्य एवं व्याख्याता की नियुक्ति अपनी व्यवस्था में की गई है। विश्वविद्यालय के परिनियम 28 के तहत नहीं है। 2. महाविद्यालय के पास 5 एकड़ की भूमि है। 3. अधोसंरचना में भवन पर्याप्त है। खेल का मैदान उपलब्ध है। विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था है। पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या पर्याप्त है। 4. ITC संसाधन उपलब्ध है। 5. भवन में (प्रयोगशाला, प्राचार्य कक्ष, स्टाफ कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, आगन्तुक कक्ष, प्रशासन, केंटिंग, पार्किंग) उपलब्ध है।	**एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होने पर सत्र 2016–17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।**
4.	हरिओम शिक्षण समिति जोगनीपाली, तह.–सराइपाली	बी.एड.	**निरीक्षण तिथि :– 23.06.2015** With reference to university letter no. 3873/Acd/2015 dated 23/6/2015 the committee inspected the place of Hariom Shikshan Samiti, Joginipali, tehsil Saraipali on 26-6-2015 for NOC to start B.Ed. course and observed the followings: **1.** That the Hariom Shkshan Samiti, Joginipali, tehsil Saraipali has 2.10 Acre of land and has a construction of building having eight rooms of 20x30 feet each at ground and first Floor (Block A) and four rooms of 30x15 feet at ground Floor (Block B). Apart from this, samiti has also a big hall which needs renovation for academic purpose mentioned in map. The land will be transferred in the name of Samiti very soon. (Letter of Chairman and Map attached)	**एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होने पर सत्र 2016–17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
			2. That in the same campus the construction work at (Block C) is in progress.That at present in Block A and B, a school named Gopnath Vidhya Mandir from calss VI to XII is functioning since 2011. **3.** That the Chairman of the samiti has given a certificate/undertaking that the school Gopnath Vidhya Mandir, Saraipali will be shifted before next academic session in the Block B & C. After that Block A will be used onle for B.Ed. Course along with all essential facilities as mentioned in Rajpatra to start B.Ed. course in point number 6.1 under sub point from (i) to (vii). Copy of certificate attached) In view of the above observations and commitment of the chairman of the samiti the committee is of the opinion that NOC for the B.Ed. course may be given subject to further Inspection before the affiliation of B.Ed. Programme.	
5.	संस्कार सिटी कालेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम–ठाकुरटोला, जी.ई रोड, राजनांदगांव	बी.एड्.	निरीक्षण तिथि :– 26.06.2015 The visiting team constituted for the issue of NOC for starting B.Ed. course in Sanskar City College of Education has visited the premises of the college on 26-06-2015 and observed that the college has sufficient infrastructure and area to start the course. Therefore, the committee recommends to issue NOC to the college to start the course with affiliation from Pt. Ravishankar Shukla University.	एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होने पर सत्र 2016–17 से बी.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।
6.	सी.आई.टी. कालेज, पार्री नाला, जी.ई. रोड, राजनांदगांव	बी.एड्.	निरीक्षण तिथि :– 26.06.2015 The committee visited the premises of CIT B.Ed. College, Parri nala, GE Road, Rajnandgaon on June 26, 2015 for the inspection as per the guidelines started in the above mentioned letter. During inspection, the following information was collected and verified: **1.** Society Registration & By-laws: The Society is registered in the	एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होने पर सत्र 2016–17 से बी.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

(12)

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
			name of Siddhi Vinayak Shikhan Sangh, Rajnandgaon vide letter no. 1536/2002 dated 2.9.2002. The by-laws of the Society are enclosed: **2.** Land Registry documents: The documents are enclosed; Proposed site for B.Ed. College: The map of the building along with the photographs where the B.Ed. course is proposed to be run is enclosed. Physical verification of the building has been carried-out by the committee. **3.** Audit Report: The audit report of the Siddhi Vinayak Shikhan Sangh, Rajnandgaon for the year 2013-14 is enclosed. On the basis of the above submitted documents and Physical inspection of the site, the inspection Committee recommends NOC for commencing B.Ed. program at CIT B.Ed. College, Parri Nala, GE Road, Rajnandgaon run by the Siddhi Vinayak Shikhan Sangh, Rajnandgaon.	

04. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.06.2015 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

निर्णय : विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.06.2015 का पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 3958 /अका./वि.प.स्थायी समिति/**2015** रायपुर, दिनांक: 27/**06/2015**

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

(13)

क्रमांक : 4216/अका./वि.प./2015 रायपुर, दिनांक : 25/07/2015

विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 17 जुलाई, 2015 दिन–शुक्रवार को अपरान्ह 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1.	प्रो. एस. के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. एस. के. पाटिल	–	सदस्य
3.	डॉ. ए. टी. दाबके	–	सदस्य
4.	डॉ. श्रीनिवासन नरसिम्हन	–	सदस्य
5.	डॉ. पुलोक के. मुखर्जी	–	सदस्य
6.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	–	सदस्य
7.	डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ	–	सदस्य
8.	डॉ. भगवंत सिंह	–	सदस्य
9.	डॉ. एम. डब्ल्यू. वाय. खान	–	सदस्य
10.	डॉ. सी. डी. अगासे	–	सदस्य
11.	डॉ. ए. के श्रीवास्तव	–	सदस्य
12.	डॉ. ओ. पी. चन्द्राकर	–	सदस्य
13.	डॉ. एस. सी. नैथानी	–	सदस्य
14.	डॉ. विभूति रॉय	–	सदस्य
15.	डॉ. के. के. घोष	–	सदस्य
16.	डॉ. ए. के. गुप्ता	–	सदस्य
17.	डॉ. (श्रीमती) शुक्ला बनर्जी	–	सदस्य
18.	श्री के. के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गए:–

01. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, दिनांक 03.07.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय:– विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, दिनांक 03.07.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।

02. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, दिनांक 03.07.2014 के पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः— **विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, दिनांक 03.07.2014 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।**

03. उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को SAP (Special Assistance Programme) के लिए पद की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— **उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को SAP (Special Assistance Programme) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक पद की स्वीकृति के संबंध में प्रेषित प्रस्ताव की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

04. उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को अंग्रेजी अध्ययनशाला के स्थापना के लिए पद की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— **उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को अंग्रेजी अध्ययनशाला के स्थापना के लिए पद की स्वीकृति के संबंध में प्रेषित प्रस्ताव की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

05. उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को स्वामी विवेकानंद स्मृति तुलनात्मक धर्म दर्शन एवं योग अध्ययनशाला के प्रस्ताव अनुसार पद की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— **उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को स्वामी विवेकानंद स्मृति तुलनात्मक धर्म दर्शन एवं योग अध्ययनशाला द्वारा योग शिक्षकों के पदों की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

06. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत में सामाजिक विचारक अवचेतना के संबंध में आमंत्रित प्रस्ताव सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत में सामाजिक विचारक अवचेतना के संबंध में आमंत्रित प्रस्ताव की सूचना ग्रहण करते हुए निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के द्वारा प्रस्ताव बनाकर निर्धारित तिथि पर भेजी जावे।**

07. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा Guidelines वित e-Content Development of Project, Submission for Assistance From UGC Under NME-ICT के अन्तर्गत "e-PG Pathshala" संबंधी योजना सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा **Guidelines** वित **e-Content Development of Project, Submission for Assistance From UGC Under NME-ICT** के अन्तर्गत

"e-PG Pathshala" संबंधी योजना का सूचना ग्रहण करते हुए निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के द्वारा प्रस्ताव बनाकर निर्धारित तिथि पर भेजी जावे।

08. बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– **बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, हिन्दी विभाग की स्थापना, स्वामी विवेकानंद चेयर की स्थापना, स्पोर्टस हॉस्टल के निर्माण एवं विभिन्न विकास कार्यों के साथ शैक्षणिक पदो के लिए अनुदान सहित स्वीकृति की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

09. सहायक फैकल्टी के पेनल (Guidelines for Empanelment of Adjunct Faculty in Universities and College) के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त Guideline पर विचार करना।

निर्णयः– **सहायक फैकल्टी के पेनल (Guidelines for Empanelment of Adjunct Faculty in Universities and College) के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त Guideline पर सभी विभागों द्वारा प्रस्ताव बनाकर कार्यवाही की जावे।**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

1. **कुलपति जी ने विश्वविद्यालय एवं विभिन्न संस्थानों के बीच शोध को बढ़ावा देने के लिए किये गये MoU से अवगत कराया इसी के साथ निम्नलिखित संस्थानों से MoU करने हेतु अनुशंसा की गई:–**

   I. छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड

   II. ASTHAGIRI HERBAL RESEACH FOUNDATION, CHENNAI, TAMIL NADU, INDIA

   III. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर

   IV. School of Natural Products, Jadavpur University (W.B.)

2. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को (B. Voc.) डिग्री प्रोग्राम के अंतर्गत "Renewable Energy Technology and Management" से संबंधित प्रस्ताव प्रेषित की गई है। प्रस्ताव की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

3. **इंस्टीट्यूट ऑफ लैंगवेज के अंतर्गत संस्कृत एवं अन्य भाषा के लिए आवश्यक पद निर्मित करते हुए प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को भेजा जावें।**

4. **कुलपति जी द्वारा सभी सदस्यों को इक्जामिनेशन रिफार्म के अंतर्गत सत्र 2016–17 से नये प्रश्नपत्र पैटर्न (New Q.P. Pattern) लागू करने की जानकारी दी गई।**

5. छत्तीसगढ़ अंचल में स्थित स्कूलों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति उत्प्रेरित करने हेतु विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं में कार्यरत शिक्षकों द्वारा प्रत्येक माह कम से कम एक व्याख्यान दिया जावे ताकि स्कूली छात्र उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन एवं शोध के संबंध में हो रहे कार्यो से अवगत हो सके तथा भविष्य की आवश्यकताओं पर आधारित संभावनाओं के बारे में विचार कर शोध के प्रति प्रेरित हो सके।
6. NCNR के अंतर्गत ऐसे उपकरण क्रय किये गये है जिसकी व्यापक उपयोग हेतु इस क्षेत्र के उद्योगों से लिंकेज स्थापित किया जाना चाहिए तथा इसके लिए निर्धारित शुल्क तय की जावे ताकि भविष्य में संबंधित उपकरणों के मरम्मत राशि की भरपाई हो सके।
7. श्री सुनिल कुमार, उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग के पत्र दिनांक 04.07.2015 Ref 177/VC/SPC में उल्लेखित बिंदुओं पर छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न योजनाओं के मूल्यांकन एवं प्रभाव के अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्राध्यापकों एवं शोधार्थियों की सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रेरित किया जावे।
8. विश्वविद्यालय में पुराने भवनों के जीर्णोद्धार, विभागों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग के भवनों के विस्तार एवं नये भवन के निर्माण के संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों की सूचना ग्रहण की गई।
9. प्रत्येक विभाग में प्रत्येक शिक्षकों को एक ऑन–गोईंग प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता है इस हेतु समस्त शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जावे तथा पत्र लिखा जावे जिससे परिसर में शोध का उत्कृष्ट वातावरण बने।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक 4217/अका./वि.प./2015

रायपुर, दिनांक : 25/07/2015

प्रतिलिपि :–

1. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड के समस्त सदस्यों को।
2. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सेटअप अनुसार विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत पद- कक्ष-अधिकारी, वरिष्ठ अधीक्षक की भूमिका, अपेक्षित योग्यता एवं कर्त्तव्य

भूमिका-

कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक संबंधित विभाग के कार्यालय के प्रबंध एवं अनुशासन से संबंधित सभी मामलों की व्यवस्था करता है। अतः उनका कुशल नियंत्रक एवं संचालक होना आवश्यक है।

विभाग के कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना ही पर्याप्त नही है। अपितु उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य पर लगाकर कार्य का संपादन एवं संचालन करवाया जाना भी अपेक्षित है, ताकि कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव एवं क्षमता का उपयोग विश्वविद्यालय के हित में किया जा सके।

साथ ही कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक को चाहिए कि वह कार्य के निपटारे में अद्यतन स्थिति बनाये रखे एवं विभिन्न कार्यों के यथाशीघ्र निष्पादन को ध्यान में रखे। कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक यह भी देखे की शासन के स्थायी आदेशो एवं प्रक्रियाओं का पूर्णरूपेण पालन किया जा रहा है।

<u>कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक की अपेक्षित योग्यताएं</u>-

कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक के पद पर एक परिश्रमी, अनुभवी एवं कार्यकुशल व्यक्ति का होना आवश्यक है। उसमें निम्न योग्यताएं होना अपेक्षित है:-

1. कार्यालय पर नियंत्रण रखने की क्षमता होना।
2. अधीनस्थ लिपिकों को मार्गदर्शन देने एवं कठिनाई दूर करने की क्षमता होना।
3. कार्यालय के प्रबंध की क्षमता का होना।
4. प्रारूप एवं नोट/संक्षेपिका लिखने की योग्यता होना।
5. कार्य के पर्यवेक्षण (Observation) की योग्यता का होना।
6. व्यवहार कुशल एवं समन्वयक (Co-Ordinator) की योग्यता का होना।
7. संस्था के अन्य कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों की भी अच्छी जानकारी।

कर्त्तव्य

<u>विशेष कर्त्तव्य-</u> इसके अंतर्गत निम्न कर्त्तव्य शामिल है:-

(अ) कर्मचारियों की उपस्थिति पर नियंत्रण-

कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक का यह कर्त्तव्य है कि वह संबंधित विभाग के कार्यालय के कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण रखे और यह देखे कि सभी कर्मचारीगण कार्यालय में समय पर आते है। इस संबंध में कार्यालय में एक उपस्थिति पंजी रखी जावे, जिसमें निम्न जानकारी रहेगी:-

1. कर्मचारी का नाम एवं पद।
2. महिने की तारीख।
3. कर्मचारी की उपस्थिति का समय।
4. उपस्थिति के समय कर्मचारी के हस्ताक्षर।
5. यदि कर्मचारी अवकाश पर है तो उसका विवरण।
6. यदि कर्मचारी विलंब से आया है तो उसका विवरण एवं समय।

टीप:- जब कोई कर्मचारी कार्यालय में समय पर उपस्थित नही होता है तो कक्ष अधिकारी को चाहिए कि ऐसे कर्मचारी के नाम के आगे लाल स्याही से (x) का चिन्ह लगा दे एवं अपने हस्ताक्षर करें।

इसके बाद यदि कर्मचारी देर से आता है तो उसकी उपस्थिति का समय अंकित करते हुये कर्मचारी के हस्ताक्षर लिये जाने चाहिए।

यदि कोई कर्मचारी हमेशा विलंब से आने का आदि है तो इसकी सूचना विभाग के उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/प्रभारी अधिकारी को दी जाए।

18

(ब) डाक प्राप्ति एवं निपटारा-

इसके अंतर्गत प्रतिदिन प्राप्त होने वाली डाक को प्राप्त होते ही कार्यालय की मूहर एवं तारीख लगवायेगा एवं विभाग के अधिकारी के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेगा एवं निर्देश प्राप्त करेगा।

तत्पश्चात् संबंधित शाखा के प्रभारी लिपिक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगा। साथ ही समयावधि के पत्रों में राजभवन से पत्र, विधानसभा प्रश्न, लोक सभा प्रश्न, मंत्रीगण से प्राप्त पत्रों पर समयावधि में प्रस्तुत करने हेतु अंकित करेगा/लिखेगा।

(स) लिपिकीय कार्यों का निरीक्षण-

इसके अंतर्गत कार्यालय के विभिन्न लिपिकों के मेजों का निरीक्षण करना चाहिए एवं यह देखना चाहिए कि बताया गया/निर्धारित काम इकट्ठा होने नही दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों के कार्यों के निरीक्षण उपरांत यदि हिदायतों एवं नियमों का पालन किया गया है अथवा नही इसकी जानकारी एवं कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों से संबंधित जानकारी विभागीय अधिकारी के ध्यान में लायेगा।

(द) **गोपनीय चरित्रावलियों की पंजी को व्यवस्थित रूप से रखना-**

कर्मचारियों से संबंधित गोपनीय चरित्रावलियों एवं संबंधित पंजीयों को व्यवस्थित रखने का कार्य कक्ष अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं कर्मचारियों की पदोन्नति इत्यादि के समय आवश्यकता होने पर पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(इ) **पदक्रम/वरिष्ठता सूची का रखा जाना-**

कक्ष अधिकारी/वरिष्ट अधीक्षक द्वारा कार्यरत कर्मचारियों की पदवार पदक्रम सूची निर्धारित समय पर प्रत्येक वर्ष जारी की जावेगी एवं विभिन्न पदक्रम/वरिष्ठता सूचियों से संबंधित पंजीयां एवं फाईल्स के संधारण की सुव्यवस्था निश्चित की जावेगी।

(फ) **विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों की पदोन्नति संबंधी कार्य-**

कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा विभिन्न कर्मचारियों एवं अधिकारियों की पदोन्नति हेतु कार्यवाही प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय-सीमा में किये जाने की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

<u>टीपः</u>- उपरोक्त "द", "इ" एवं "फ" में उल्लेखित विशेष कर्त्तव्य सामान्य प्रशासन विभाग के स्थापना से संबंधित होने के कारण केवल सामान्य प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होंगे।

(ज) **कुलसचिव एवं विभागीय अधिकारी द्वारा भेजे गये गोपनीय अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से रखना-**

समय-समय पर कुलसचिव द्वारा भेजे गये समस्त गोपनीय अभिलेखों एवं गोपनीय पत्रों को अलग-अगल गोपनीय पंजी में पंजीकृत किया जावेगा।

गोपनीय पत्र, प्रकरण एवं पंजीयां कक्ष अधिकारी के नियंत्रण में रखी जावेगी।

(ह) **स्थायी आदेशों की फाईलों को व्यवस्थित रखना-**

शासन से प्राप्त स्थायी आदेशों को फाईल बनाकर सुरक्षित रखा जावेगा, इन्हें निम्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता हैः-

1. कार्यालय से संबंधित आदेश।
2. फौजदारी कार्य/प्रकरण से संबंधित आदेश।
3. राजस्व कार्य/प्रकरण से संबंधित आदेश।
4. विधिक विषयक आदेश।

<u>सामान्य कर्त्तव्य-</u>

सक्षम अधिकारी कुलपति/कुलसचिव/विभागाध्यक्ष के द्वारा अधिकृत किए जाने पर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना।

अतः कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक के समस्त कार्यों को न तो लेखबद्ध किया जा सकता है और न ही किसी सीमा में बांधा जा सकता है। फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक के सामान्य कर्त्तव्यों को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से निरूपित किया जा सकता है:-

1. कर्मचारी कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित हो तथा कार्य भी प्रारंभ कर दें। यह ध्यान रखना कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक का कर्त्तव्य है।

   साथ ही उपस्थिति के उपरांत कर्मचारी इधर-उधर घूमते रहते है या कार्य को छोड़कर अन्य क्रियाकलापों में लगे रहते है, जिससे एक ओर कार्य में विलंब होता है एवं दूसरी ओर कार्यालय की छवि खराब होती है। अतः इन पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जावे।
2. कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक को इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि कर्मचारी समय पर अपना कार्य प्रारंभ करेंगे तो कार्य भी बकाया नही रहेगा।
3. प्रतिदिन प्राप्त होने वाली डाक को डाक रजिस्टर में प्रविष्टि के उपरांत संबंधित शाखाओं में वितरण की व्यवस्था की जावे।
4. राजभवन एवं शासन से प्राप्त आदेशों से संबंधित पत्रों, समय-सीमा से संबंधित पत्रों एवं आवश्यक पत्रों को अविलंब कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। समय-सीमा वाले पत्रों का उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित किया जावे।
5. कुलसचिव/विभागीय अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के कोई भी कर्मचारी कार्यालयीन पत्र/रजिस्टर घर पर नही ले जा सकेंगे। अतः इस पर नियंत्रण रखा जावे। विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति लेकर कार्य को घर पर ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिये।
6. विभागीय अधिकारी एवं कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत समस्त पत्र, फाईलें, प्रकरण तथा डाक- कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक के माध्यम से ही जानी चाहिए।
7. कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक विभिन्न प्रकरणों से संबंधित याचिकाओं एवं अपीलों को संबंधित माननीय न्यायालयों में भेजेगा।
8. इसी प्रकार राजभवन, शासन तथा विभिन्न आयोगों को भेजी जाने वाली जानकारी कक्ष अधिकारी /वरिष्ठ अधीक्षक के मार्गदर्शन में प्रेषित की जायेगी।
9. कर्मचारियों द्वारा प्रेषित विभिन्न अवकाश आवेदनों पर लिखी टीप का परीक्षण करेगा एवं आवेदनों को उचित आदेशार्थ प्रभारी अधिकारी के माध्यम से कुलसचिव को भेजेगा।
10. लोक सभा एवं विधानसभा के प्रश्नों के लिये पृथक से पंजी रखी जाये एवं उसमें प्राप्त ऐसे समस्त प्रश्नों का विवरण अंकित किया जावे।
11. राजभवन, राज्य शासन या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त पत्रों की अलग से पंजी रखी जाये एवं उत्तर दिये जाते समय स्वयं यह जांच की जावे कि उन्हें सही जानकारी प्रेषित की जा रही है।
12. विभिन्न कर्मचारियों के बकाया कार्य का विवरण नियमित रूप से विभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। नस्तीबद्ध प्रकरणों एवं अभिलेखों को कार्यालय में अलग से रखे जाने की व्यवस्था की जावे।
13. विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेशों, अधिसूचनाओं एवं नियमों, परिपत्रों, सूचनाओं को तथा उनमें किए गए संशोधनों से संबंधित समस्त आदेशों को सुव्यवस्थित रखा जावे एवं उनका यथोचित रूप से पालन किया जावे।
14. विभिन्न आदेशों, अधिसूचनाओं, सूचनाओं, पत्रों, ज्ञापन इत्यादि के मुद्रलेखन में देर न हो। इस ओर कक्ष अधिकारी को ध्यान रखना चाहिए।
15. कक्ष अधिकारी और कर्मचारियों के बीच हमेशा समन्वय एवं सद्व्यवहार बनाए रखने हेतु प्रयत्न करना चाहिए।
16. कक्ष अधिकारी को चाहिए कि लिपिक वर्ग से अनावश्यक पत्राचार न करें। यदि किसी कर्मचारी की भूल का पता चले तो, पहले मौखिक रूप से विभागीय अधिकारी के माध्यम से, कुलसचिव के ध्यान में बात लाई जावे।